



एफ.सं.16/65/2017-प्रशासन II-(भाग-I) ई-फाइल-19180

दिनांक: 10 जुलाई, 2025

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय:-** एपीएआर के संशोधित प्रारूप में वैज्ञानिक कर्मचारियों द्वारा स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करने हेतु संशोधित समय-सीमा।

उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 15.05.2025 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 16/65/2017-प्रशासन और 2 जुलाई, 2025 के अनुक्रम में, आईसीएमआर के वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए एपीएआर और एडब्ल्यूआर को पूरा करने के लिए स्पैरो पोर्टल में उपलब्ध संशोधित प्रारूप की समय सीमा को निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार आगे बढ़ाया गया है:-

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. जिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, उसके द्वारा रिपोर्टिंग अधिकारी को AWR के साथ स्व-मूल्यांकन प्रस्तुत करना: | 20-07-2025 |
| II. रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा पुनर्विलोकन अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करना:                                                  | 08-08-2025 |
| III. पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा रिपोर्ट पूरी की जाएगी और संबंधित प्रशासन को भेजी जाएगी:                                      | 31-08-2025 |

- अतः सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे वर्ष 2024-25 की अपनी संबंधित एपीएआर और एडब्ल्यूआर को संशोधित प्रारूप में, उल्लेखित समय-सीमा के भीतर अवश्य प्रस्तुत करें।
- यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(जगदीश राजेश)

उप महानिदेशक (प्रशा.)

सेवा में,

परिषद के सभी संस्थानों/केन्द्रों के निदेशक/प्रभारी निदेशक।

**प्रतिलिपि:-**

- परिषद के महानिदेशक/अपर महानिदेशक /वरिष्ठ उप महानिदेशक (प्रशा.) के निजी सचिव।
- सभी प्रभाग प्रमुख, परिषद मुख्यालय।
- सहायक महानिदेशक
- डॉ.एम.एस. चाल्गा, वैज्ञानिक- 'डी', परिषद मुख्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- श्री आर. मुनियासामी, पीटीओ, परिषद मुख्यालय - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।